<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2, रामपुर</u>

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–148/2026

C.N.R.N ०–UPRP01–000552–2026

रजि० सं०–261/2026

1. रन सिहं उम्र लगभग 39 वर्ष पुत्र श्री करन सिहं
2. सुरेश उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र श्री बाबूराम

निवासीगण ग्राम बलुपुरा थाना सैफनी जिला रामपुर

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

<u>आदेश</u>

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण **रन सिहं** व **सुरेश** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–28/2026 धारा–70(1), 115(2), 351(3), 352, 191(2), 191(3) बी०एन०एस० थाना सैफनी जिला रामपुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ करन सिहं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा थाने की आख्या व केस डायरी का अवलोकन किया।

3. अभियोजन केस के अनुसार वादनी सुनीता बाल्मीकि दिनांक 08.02.2026 की शाम को मेहराज अली के साथ मोटर साईकिल से दवाई लेने मौलाना मोहम्मद अली जोहर हास्पिटल रामपुर गयी थी तथा देर शाम को दवाई लेकर मेहराज अली के साथ ही मोटर साईकिल से अपने गांव किशनपुर के रास्ते से होकर अपने घर वापस लौट रही थी कि जैसे ही वह समय करीब 08.30 बजे नहर के पास पहुंची, तभी पहले से घात लगाये बैठे रन सिहं, बब्लू और इन्हीं के परिवार के सुरेश तथा दो अन्य व्यक्तियों ने तमंचे और लाठी डण्डों से लैस उन दोनो के ऊपर हमला बोल दिया और दो लोगों ने मेहराज अली की कनपटी पर तमंचा रखकर अपने कब्जे में कर लिया तथा बब्लू, रन सिहं व सुरेश वादनी को खींचकर खेत में ले गये, जहां पर उक्त तीनों ने उसके साथ बारी–बारी से दुष्कर्म किया तथा विरोध करने पर गाली गलौज करते हुये बुरी तरह से मारपीट की और बाद में जान से मारने की धमकी देते हुये उक्त लोग फरार हो गये। घटना के बाद वादनी की सूचना पर 112 पुलिस ने भी घटना की जानकारी ली। वादनी के काफी चोट है।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से कहा गया कि उन्हें रंजिशन झूंठा फंसाया गया है, उन्होने कोई अपराध नहीं किया है। वह दिनांक 09.02.2026 से जेल में निरूद्ध है। आवेदक रन सिहं की मां रमोली देवी ग्राम बलुपुरा की वर्तमान ग्राम प्रधान है तथा वादनी मुकदमा ग्राम बलुपुरा में सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त थी। वादनी मुकदमा द्वारा ग्राम में सफाई कार्य सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा था तो आवेदक रन सिहं ने वादनी मुकदमा की शिकायत वीडियो साहब से की थी, जिससे वादनी मुकदमा आवेदक रन सिहं व उसके परिवार वालों से चिढ़ गयी और आवेदक रन सिहं की माता रमोली देवी के साथ मारपीट की थी, जिसका वादनी मुकदमा के विरूद्ध थाना सैफनी में एक मुकदमा मु०अ०सं०–74/2024 धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं० में दर्ज कराया था। उपरोक्त केस की वादनी मुकदमा ने

उसी दिन वीडियो साहब के साथ गाली गलौज व बदतमीजी की थी, जिस कारण उसी दिन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा वादनी मुकदमा के विरूद्ध थाना शाहबाद में मु०अ०सं० 186/2024 धारा–353, 186, 504, 506 भा०दं०सं० दर्ज कराया गया। इस केस में आवेदक सुरेश गवाह बना था। वादनी मुकदमा ने आवेदकगण पर दबाब बनाने के उददेश्य से आवेदक रन सिहं, भाई बब्लू, पिता करन सिहं व माता रमोली देवी के विरूद्ध न्यायालय में झूंठा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय द्वारा परिवाद में दर्ज कर तलब किया गया, जिसकी निगरानी न्यायालय में विचाराधीन है। वादनी मुकदमा पेशेवर महिला है, जिसके द्वारा पूर्व में थाना सैफनी पर अपने ही गांव के लोगों के विरूद्ध मु०अ०सं० 61/2023 धारा–354 ख भा०दं०सं० का मुकदमा पंजीकृत कराया जा चुका है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से लिखायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया है। उनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही पूर्व सजायाफ्ता है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादनी के ओर से उपस्थित उसके प्राईवेट विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. इस न्यायालय द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अुनसार वादनी सुनीता बाल्मीकि दिनांक 08.02.2026 की शाम को मोटर साईकिल से अपने गांव किशनपुर के रास्ते से वह समय करीब 08.30 बजे नहर के पास पहुंची, तभी पहले से घात लगाये बैठे **रन सिहं, बब्लू** और इन्हीं के परिवार के **सुरेश** तथा दो अन्य (तीन नामजद एवं दो अज्ञात कुल पांच)व्यक्तियों ने तमंचे और लाठी डण्डों से लैस उन दोनो के ऊपर हमला बोल दिया और दो लोगों ने मेहराज अली की कनपटी पर तमंचा रखकर अपने कब्जे में कर लिया तथा बब्लू, रन सिहं व सुरेश वादनी को खींचकर खेत में ले गये, जहां पर उक्त **तीनों ने** उसके साथ बारी–बारी से दुष्कर्म किया तथा विरोध करने पर गाली गलौज करते हुये बुरी तरह से मारपीट की और बाद में जान से मारने की धमकी दी।

7. वादनी द्वारा अपने बयान धारा 180 बी०एन०एस०(161 सी०आरपी०सी०) में कथन किया कि **"जब हम वहां पर आ रहे थे तो दोनों गाडिया झाड़ियों की आड़ मे गेहू के खेत की तरफ को खडी कर दी थी हमे थोडी देर लाईट दिखी फिर नही दिखी वो लोग उतकर हमारे पास आ गये, हमारी उधर से आ रही थी इन्होने एकदम से लाईट मारकर मुह पर अधेंरा कर दिया यह 08:30 शाम की बात है जब वहां पर अधेंरा सा हो गया, हमारी तरफ जब उन्होने लाईट बन्द कर दी तो वह हमारे पास पहुंच गये तो हमे बाइक से मुझे खिंचा तानी करने लगे बाईक रूकवाकर मैराज अली के कान पर तमंचा रख दिया दो लोगो ने उनके जो कि ढाटा बंधा हुआ थे और तीन लोग मुझे खींच कर, जिनके ढाटा नही बंधा था और तीनों लोग नीचे को गेंहूओं मे को खींच कर ले गये और मेरे सीने पर और मेरे साथ बदतमीजी की तथा मेरे कपडे सब फाड़ दिये थे।"**

8. वादनी द्वारा अपने बयान धारा 183 बी०एन०एस०(164 सी०आरपी०सी०) में कथन किया कि **"मै जौहर हास्पिटल में अपने पैर की चोट की दवाई लेने आयी थी मै अपने लडके के दोस्त मेहराज अली के साथ आयी थी हम बाईक से आये थे, लगभग 3 बजे दोपहर अपने घर से निकली थी, शाम 5 बजे के करीब हास्पिटल से निकले थे, लगभग 8.30 के करीब बलुपुरा के सडक पर पहुचे जहां रन सिह, सुरेश, सुरेन्द्र तथा बाबी दो बाईको से आ गये और हमारी बाईक के आगे बाईक लगा दी हमे बाईक रोकनी पडी सुरेन्द्र ने मेहराज अली के सर पर तमन्चा रख दिया और मुझे खींचकर गेहू के खेत मे ले गये जिसमें सरसो भी लगा था रन सिह,**

बब्लू तथा सुरेश ने मेरे साथ बलात्कार किया, सुरेन्द्र व बाबी मेहर अली को सडक पर पकडे रहे मेरे मुह को दबा रखा था इस कारण एक आवाज भी नही निकली थी और मेरा मुह दबा रखा था वहां मुझे बचाने कोई नही आया, वहां जगल था, कोई नही था, जंगल मे पकडकर खेत मे ले गये थे हमारे मोबाइल भी जमा कर लिये थे, घटना के बाद लडके को फोन दे दिया था उसने 100 नम्बर पर फोन किया था।"

9. यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 09.02.2026 के अनुसार घटना मुल्जिमान **रन सिह, बब्लू** व **सुरेश** तथा दो अज्ञात द्वारा कारित की गयी। जबकि वादनी के बयान धारा 180 बी०एन०एस०(161 सी०आरपी०सी०) दिनांकित 09.02.2026 में मुल्जिमानों के नाम का उल्लेख नही है तथा वादनी के बयान धारा 183 बी०एन०एस०(164 सी०आरपी०सी०) दिनांकित 11.02.2026 के अनुसार मुल्जिमान **रन सिह, बब्लू** व **सुरेश** के द्वारा बलात्कार करने संबंधी कथन किये गये है, जिससे वादनी के बयानों में समय समय पर भिन्नता प्रतीत हो रही है। पत्रावली पर उपलब्ध मेडीकल प्रपत्रों में भी वादनी के प्राईवेट पार्ट पर ऐसी किसी चोट का विवरण नही है जिससे ज्ञात हो कि वादनी के साथ बलात्कार तीन चार व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। तीन अभियुक्तगण सगे भाई है तथा एक अभियुक्त तीनों अभियुक्तगण का भांजा है।

10. मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये गुण–दोष पर कोई अन्तिम मत व्यक्त किये बिना जमानत का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

11. तदनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को उनके द्वारा रूपये 1,00,000/–1,00,000/– का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की एक जमानत सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे तथा मुकदमे के विचारण में सहयोग करेंगे।
2. आवेदकगण/अभियुक्तगण अभियोजन साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेंगे।
3. आवेदकगण/अभियुक्तगण साक्षी के उपस्थित रहने पर स्थगन की मांग नहीं करेंगे।

12. आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा उक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर यह जमानत आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

दिनांकः 10–03–2026

(डॉ० विजय कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–2, रामपुर
ID No UP 2413

Digitally signed by DR VIJAY KUMAR
Date: 2026.03.12 12:43:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court